न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :— 8 / 2025

जीसीएमएस नम्बर :— 2025 / 146

अनवान

1. चुन्नी पत्नि मांगु ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. जगदीश पिता मांगु ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. डाली बाई पत्नि जमना लाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. निर्मला पुत्री मांगु ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. निर्मला पुत्री बालु ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. गोपाल कृश्ण पिता बालुराम ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. कंचनदेवी पत्नि लक्ष्मण ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8. प्रकाश पिता मांगु ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9. बंशी पिता भागीरथ ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10. भांकरलाल पिता मोती ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11. संजयकुमार पिता लक्ष्मण ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12. सोहन पिता कुशाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश पिता नाहरमल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. नन्दु पत्नि मांगीलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. पुश्पा पुत्री मांगीलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. बाबुलाल पिता मांगीलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. मोहनी पुत्री मांगीलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 06.10.2025

1. पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 3 लगायत 6 के पूर्वज मांगु पिता पन्ना बेविलायत सुन्दर बेवा पन्ना हिस्सा 1 / 3, मोती पिता भज्जा हिस्सा 1 / 3, देवा पिता चुन्ना हिस्सा 1 / 12, भागीरथ पिता देवा हिस्सा 1 / 12, मांगु,

सहायक कलक्टर

रूपा, लछमण, सोहन पिता कु ााल ब्राहम्ण व खातेदार केदारमल पिता नाहरमल महाजन हिस्सा 1/6 के खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी चाह संख्या 726 रकबा 3 बिस्वा साबिक खाता संख्या 339 पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है।

2. प्रार्थना पत्र कि कलम संख्या 1 में अंकित साबिक आराजीयात का रोटे ान जमाबन्दी जरिये सभी खातेदारो का नाम सही रूप से दर्ज हुआ आगे कि जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 में प्रार्थीगण के पुर्वजों की जाति ब्राहम्ण अंकित रही उसके पश्चात् आगे कि जमाबन्दी 2036 से 2040 से लगायत वर्तमान तक सभी की जाति ब्राहम्ण की जगह महाजन अंकित हो गई लेकिन जमाबन्दी में महाजन केवल विपक्षी संख्या 2 के पुर्वज ही थे शेष सभी ब्राहम्ण थे तथा खातेदार मोती पिता भज्जा की विरासत प्रार्थी शंकरलाल के नाम दर्ज की जिसमें उसके पिता का नाम पन्ना दर्ज कर दिया जबकि उसके पिता का नाम साबिक जमाबन्दी में मोती दर्ज था जिससे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

3. भूप्रबंध होने के दौरान ग्राम आशाहोली का भी भूप्रबंध हुआ जिससे साबिक आराजी संख्या 726 रकबा 3 बिस्वा के नवीन नम्बर 968 रकबा 0.03 हैक्टयर आचा कायम हुए प्रमाण में नवीन जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। भूप्रबंध अधिकारीयो व कर्मचारीयों ने प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 3 लगायत 6 के पूर्वजो की जाति ब्राहम्ण के बजाय महाजन दर्ज कर दी तथा प्रार्थी शंकरलाल की वल्दियत मोती के बजाए पन्ना दर्ज कर दी है।

4. अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम आ ाहोली की आराजी संख्या 968 रकबा 0.03 है0 जो खाता संख्या 228 पर दर्ज रेकार्ड है में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 3 लगायत 6 की जाति महाजन के बजाय ब्राहम्ण दर्ज किये जाने का आदे ा विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी फरमाया जावे तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती दर्ज कराई जावे।

5. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में में विपक्षी तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच रिर्पोट प्रस्तुत की गइे जो शामिल पत्रावली की गई।

6. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम आ ाहोली के जमाबन्दी रोटेशन वर्श 2030 से 2033 की खाता संख्या 339 में खसरा संख्या 726 रकबा 3 बिस्वा में खातेदार मांगु पिता पन्ना व विलायत मु0 सुन्दर बेवा पन्ना 1/3 मोती पिता भज्जा 1/3 देवा पिता चुन्ना 1/12 भागीरथ पिता देवा 1/12 गांगु, लछमण, रूपा, सोहन पिता कुशाल वामन हि0व0 केदारनाथ पिता रामनाथ महाजन सा0 1/6 देह दर्ज रेकार्ड थी। इसके पश्चात् ग्राम आशाहोली के जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 तत् समय पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई जिसके खाता संख्या 360 साबिक खसरा नम्बर 726 रकबा 3 बिस्वा में खातेदार मांगु पिता पन्ना व विलायत मु0 सुन्दर बेवा पन्ना 1/3 मोती पिता भज्जा 1/3 देवा पिता चुन्ना 1/12 भागीरथ पिता देवा 1/12 गांगु, लछमण, रूपा, सोहन पिता कुशाल

सहायक कलक्टर

बामन हि0ब0 केदारनाथ पिता रामनाथ महाजन सा0 1/6 देह दर्ज रेकार्ड हुई थी जिसमें केदारमल के पहले बामन जाति दर्ज थी जिसको विलोपित कर दिया जिससे जाति महाजन दर्ज हो गई। उपरोक्त खसरा नम्बर 726 को बाद के सभी रोटेशन वर्षो में आज तक जाति महाजन ही दर्ज होती रही तथा खाता में विरासत खातेदार बदलते रहे तथा जमाबन्दी वर्ष 2050 से 2053 के खाता संख्या 392 में खातेदार भांकरलाल पिता मोती 1/3 दर्ज था परन्तु वक्त भू–प्रबन्ध के दौरान भांकरलाल पिता पन्ना, देवा पिता चुना 1/12 दर्ज कर दिया जो भी अशुद्ध है जिसको साबिक रेकार्ड के मुकाबले भांकरलाल पिता मोती 1/3 देवा पिता चुना 1/12 दर्ज करना उचित है। उपरोक्त खसरा नम्बर 726 साविक के हाल खसरा नम्बर 968 रकबा 0.03 है0 गै.मु. आचा कायम हुए मिलान क्षैत्रफल साथ संलग्न है। जमाबन्दी रोटेशन दर रोटेशन बनती रही जिसमें जाति व नाम की अशुद्धियां चलती रही जो वर्तमान रोटेशन वर्ष 2075 से 2078 के खाता संख्या 228 पर दर्ज खातेदार जो इस प्रकार है –

1. चुन्नी पिता मांगु हिस्सा 1/24 ब्राहम्ण
2. जगदीश पिता मांगु 1/24 ब्राहम्ण
3. निर्मला पुत्री मांगु 1/24 ब्राहम्ण
4. प्रकाश पुत्र मांगु 1/24 ब्राहम्ण
5. सुन्दर पत्नि पन्ना 1/6 ब्राहम्ण
6. भांकरलाल पिता मोती 1/3 ब्राहम्ण
7. ब्शीलाल पिता भागीरथ 2/27 ब्राहम्ण
8. डालीबाई पत्नि जमनालाल 2/27 ब्राहम्ण
9. गेपाल कृष्ण पिता बालुराम 1/108 ब्राहम्ण
10. निर्मला पुत्री जमनालाल 2/27 ब्राहम्ण
11. बाबुलाल पिता मांगीलाल 1/192 ब्राहम्ण
12. मोहनी पुत्री मांगीलाल 1/192 ब्राहम्ण
13. नन्दुदेवी पत्नि मांगीलाल 1/192 ब्राहम्ण
14. पुष्पा पुत्री मांगीलाल 1/192 ब्राहम्ण
15. संजयकुमार पुत्र लक्ष्मण 1/32 ब्राहम्ण
16. कंचनदेवी पत्नि लक्ष्मण 1/96 ब्राहम्ण
17. सोहन पिता कुशाल 1/48 ब्राहम्ण
18. जगदीशचन्द्र पिता नाहरमल 1/12 महाजन सा. देह दर्ज किया उचित है।

7. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 में जाति का अंकन सही था परन्तु रोटेशन की जमावंदी 2033 से 2036 में लिपिकिय त्रुटी से प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम में बामन हट गया तथा केदारमल पिता रामनाथ महाजन का नाम होने से सभी खातेदारों

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

की जाति महाजन दर्ज हो गया और खातेदार बदलते गये जाति महाजन रोटे ान दर रोटेशन चलती रही हैं जो कि लिपिकीय त्रुटी की श्रेणी में आता है।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 में प्रार्थी संख्या 10 का नाम विरासत के नामान्तरण संख्या 1125 दिनांक 25.05.1990 के जरिये खाता संख्या 382 मे शंकरलाल पिता मोती दर्ज किया गया जो कि सही था परन्तु आगामी रोटेशन की जमाबंदी संवत 2075 से 2078 में लिपिकिय त्रुटी से प्रार्थी संख्या 10 का नाम शंकरलाल पिता धन्ना दर्ज हो गया है जिससे आगामी जमाबन्दी में यही नाम चल रहा है जो लिपिकीय त्रुटी की श्रेणी में आता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटी के प्रकरणो का निर्णय किया जाता है। इस प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजो एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के आधार पर लिपिकीय त्रुटी प्रमाणित होती जिसे सुधारा जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का आशाहोली के ग्राम आशाहोली के राजस्व खाता संख्या 228 में अंकित प्रार्थीगण 1 लगायत 12 व विपक्षी संख्या 3 लगायत 6 के नाम के साथ जाति महाजन के बजाय ब्राहम्ण राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर संशोधित किया जावे। प्रार्थी संख्या 10 शंकरलाल पिता धन्ना के बजाय शंकरलाल पिता मोती दर्ज कर संशोधन किया जावे; पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें। प्रार्थीगण व विपक्षीगण अपने–अपने हिस्से का अंकन जमाबन्दी में कराने हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद दायर कर राहत प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 8 / 2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 146

अनवान

1. चुन्नी पत्नि मांगु ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. जगदीश पिता मांगु ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. डाली बाई पत्नि जमना लाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. निर्मला पुत्री मांगु ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. निर्मला पुत्री बालु ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. गोपाल कृश्ण पिता बालुराम ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. कंचनदेवी पत्नि लक्ष्मण ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8. प्रकाश पिता मांगु ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9. बंशी पिता भागीरथ ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10. भांकरलाल पिता मोती ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11. संजयकुमार पिता लक्ष्मण ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12. सोहन पिता कुशाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश पिता नाहरमल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. नन्दु पत्नि मांगीलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. पुश्पा पुत्री मांगीलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. बाबुलाल पिता मांगीलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. मोहनी पुत्री मांगीलाल महाजन निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
प्रेशित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

दिनांक 16.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का आशाहोली के ग्राम आशाहोली के राजस्व खाता संख्या 228 में अंकित प्रार्थीगण 1 लगायत 12 व विपक्षी संख्या 3 लगायत 6 के नाम के साथ जाति महाजन के बजाय ब्राहम्ण राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर संशोधित किया जावे। प्रार्थी संख्या 10 शंकरलाल पिता धन्ना के बजाय शंकरलाल पिता मोती दर्ज कर संशोधन किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें। प्रार्थीगण व विपक्षीगण अपने–अपने हिस्से का अंकन जमाबन्दी में कराने हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद दायर कर राहत प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 06.10.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा